रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 902]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 902]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1013(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और हिताधिकारियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण स्कीम (इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के सूचना, शिक्षा एवं संसूचना संघटक के अधीन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान करके विद्यालय के बालकों (छठी, सातवीं और आठवी कक्षा) के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और अठारह वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता कार्यान्वित कर रहा है;

और, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड जो अपने क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के साथ स्कीम को कार्यान्वित करता है, को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उपयोग प्रतियोगिताओं के विजेताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है) के बीच पुरस्कार राशि और आनुषंगिक प्रभारों (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के वितरण के लिए किया जाता है;

और, स्कीम के अधीन दी जाने वाली प्रसुविधाओं में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी;

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे हिताधिकारी से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 अगस्त, 2017 तक